न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी , जनपद :वाराणसी , तहसील :पिण्ड्रा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T201914700210337
वाद संख्या:- 10337/2019
शुभम एजुकेशनल एण्ड सोसल सोसायटी बजरिये प्रबन्धक प्रदीप कुमार बनाम सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 11/06/2019

प्रस्तुतवाद शुभम एजुकेशनल एण्ड सोसल सोसायटी सिन्धोरा पोस्ट सदर जिला आजमगढ़ बजरिये प्रबन्धक प्रदीप कुमार पुत्र रामलखन सिंह निवासी मौजा बरईपुर पोस्ट पलहीपट्टी जिला वाराणसी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि मौजा कठिराव परगना पन्द्रह तहसील पिण्डरा जिला वाराणसी के खाता संख्या 1257 आराजी नं0 1741 रकबा 2.84-1/2 में वादी अंश 1.000हे0 होता है जिस पर वह काबिज दखिल है। वादी ने अपने अंश पर शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कराया है निर्मित कुल क्षेत्रफल 0.256 हे0 है। इस पर किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नही होता है। आराजी उपरोक्त के रकबे 0.256हे0 पूर्ण रूप से अकृषिक हो चुका है अब उस पर कृषि कार्य होना सम्भव नही है इसे अकृषिक घोषित किया जाना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त आराजी को गैर कृषिकीय भूमि घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

तहसीलदार पिण्डरा वाराणसी से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार पिण्डरा की आख्या दिनांक 11.06.2019 ई0 में उल्लेख किया गया है कि रकबा 0.163हे0 भूमि व्यावसायिक प्रयोजन में है। नियमानुसार विधिक शुल्क जमाकराकर भूमि अकृषिक घोषित करने की आख्या सेवा में सादर प्रेषित है। साथ में नकल खतौनी व स्थल का फोटो ग्राफ भी संलग्न है और वह वर्तमान समय में अकृषिक हो चुका है। उपनिबन्धक पिण्डरा से आख्या प्राप्त की गयी। उपनिबन्धक की आख्या एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आंगणित रकम का एक प्रतिशत अथवा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत दर के अनुसार होगा, आवेदक द्वारा नियमानुसार निधारित फीस रू0 35620.00 एवं कोर्ट फीस रू0 35620.00 जमा कर दिया गया है। स्टाम्प कोर्ट फीस मूल रूप में एवं चालान पत्रावली में संलग्न है।

प्रार्थी की ओर से उद्धरण खतौनी वर्ष 1424-1429फ0 के खाता संख्या 1257स्थित मौजा कठिरांव परगना पन्द्रह तहसील पिण्डरा जिला वाराणसी दाखिल किया गया है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में मैने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मौजा कठिरांव परगना पन्द्रह तहसील पिण्डरा जिला वाराणसी स्थित आराजी नं0 1741 रकबा 0.163हे0 भूमि पर स्कूल का निर्माण किया जा चुका है। भूमि व्यायवसायिक प्रयोजन हेतु है जिससे उक्त भूमि अकृषिक हो चुका है। सहखातेदार के रूप में अंकित खातेदार रामप्रकाश व मृत्युन्जय कुमार नरायण पुत्रगण तपनरायन द्वारा भूमि को अकृषिक घोषित कराने में सहमति प्रदान करने हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र के रूप में नोटरी हलफनामा दिया गया हैं, जो साथ में संलग्न है। वर्तमान में अकृषिक प्रयोजन में उपयोग किया जाता है जिस पर कृषि कार्य नही किया जाता है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना नियमानुसार उचित एवं न्याय संगत है।

अतः आराजी नं0 1741 रकबा 0.163हे0 स्थित मौजा कठिरांव परगना पन्द्रह तहसील पिण्डरा जिला वाराणसी को अन्त्रतगत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के तहत अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक पिण्डरा वाराणसी को भेजी जाय। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"